भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 398

15 सितम्बर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: टिड्डियों का हमला

398. श्री हरीश द्विवेदीः

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री हनुमान बेनीवालः

श्री सु. थिरूनवुक्करासरः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

श्री दीपक बैजः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्रीमती माला रायः

श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

श्री ए.के.पी. चिनराजः

श्री एस. जगतरक्षकनः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री कुलदीप राय शर्माः

श्री जगदम्बिका पालः

डॉ. अमोल रामसिंहः कोल्हेः

श्री बिद्युत बरन महतोः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से टिड्डियों के हमले हो रहे हो, जिससे किसानों को व्यापक फसल नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसानों को टिड्डियों से होने वाले नुकसान का आकलन किया है, जो पहले से ही कोविड-19 महामारी के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा विशेष रूप से कुल कितने हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी फसल और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पड़ोसी देशों से कोई बातचीत हुई है, जहां से टिड्डियों की उत्पत्ति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या सरकार टिड्डियों के हमलों से प्रभावित किसानों के लिए कोई मुआवज़ा या राहत देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में टिड्डे प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को टिड्डियों के हमलों के बारे में शिक्षित या प्रशिक्षित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए या आने वाले महीनों में टिड्डियों के भविष्य के हमलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्या अन्य निवारक उपाय/कार्ययोजना बनाई गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): वर्ष 2020-21 के दौरान 10 राज्यों यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में टिड्डियों की आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ टिड्डियों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से कार्य का संचालन किया गया था।

गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में किसी प्रकार के फसल नुकसान की सूचना नहीं दी है। हालांकि, राजस्थान सरकार ने बीकानेर में 2234.92 हेक्टेयर क्षेत्र, हनुमानगढ़ के 140 हेक्टेयर में और श्री गंगानगर के 1027 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों के आक्रमण के कारण 33% से अधिक फसल नुकसान की सूचना दी है । हरियाणा सरकार ने लगभग 6166 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% से कम फसल नुकसान होने, मध्य प्रदेश सरकार ने दामोह जिले में 4400 हेक्टेयर में 10 प्रतिशत सोयाबीन की फसलों के नुकसान होने की सूचना दी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नागपुर, भंडारा, गोंदिया और अमरावती जिलों के 805.8 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% से कम फसल नुकसान होने की सूचना दी है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ जिले में 2 हेक्टेयर क्षेत्र (5% नुकसान) में नुकसान होने की सूचना दी है। इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने फसल नुकसान का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फसल नुकसान की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को आदेश जारी किए।

(ग): 11 मार्च 2020 को दक्षिणी-पश्चिमी एशियाई देशों में मरूस्थलीय टिड्डियों पर एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें चार सदस्य देशों (अफगानिस्तान, भारत, ईरान और पाकिस्तान) के प्रतिनिधि तथा एफएओ के पौध संरक्षण प्रभाग, रोम के प्रतिनिधि भी इस बैठक में भाग लिए। इसके बाद, सदस्य देशों में टिड्डियों की वास्तविक स्थिति, आवागमन और नियंत्रण की कार्यनीतिक जानकारी साझा करने के लिए अब तक स्काइप के माध्यम से सदस्य देशों के तकनीकी अधिकारियों की 24 वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई हैं।

इसके अलावा, मई और जून में विदेश मंत्रालय के माध्यम से केन्या और इथियोपिया से उनके देशों में टिड्डियों की स्थिति के बारे में फीडबैक प्राप्त हुई है। इन फीडबैक के आधार पर टिड्डियों के लिए तैयारी करने और नियंत्रण के लिए कार्यनीतियाँ बनाई गईं थीं।

(घ): गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कीट आक्रमण को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है और राज्य स्थापित प्रक्रिया एवं सहायता के मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा अनुक्रिया कोष के तहत राहत उपाय कर सकते हैं।

अब तक कोई भी राज्य टिड्डियों के आक्रमण के कारण प्रभावित किसानों को राहत देने की सूचना नहीं दी है।

टिड्डियों के आक्रमण के कारण किसानों को होने वाले फसल नुकसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत शामिल हैं। फसल कटाई परीक्षणों के माध्यम से उपज नुकसानों का आकलन किया जाता है और स्कीम के प्रावधानों के अनुसार बीमित किसानों को प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ङ.): जी हां, राजस्थान और गुजरात के राज्य विस्तार अधिकारियों और किसानों के लिए टिड्डी अंचल कार्यालयों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मॉक ड्रिल ऑपरेशन संचालित किए गए थे। इसके अलावा, केंद्रीय समेकित कीट प्रबंधन केंद्रों ने भी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में राज्य विस्तार अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए थे।

(च): टिड्डी अंचल कार्यालयों की क्षमता निम्नलिखित के माध्यम से सुदृढ़ की गई थी -

- टिड्डी नियंत्रण क्षमता सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त 60 उपकरणों की खरीद की गई और वर्तमान में स्प्रे उपकरण वाले वाहन के साथ 104 नियंत्रण दलों को जमीनी स्तर पर नियंत्रण के लिए लगाया गया था।
- जमीनी स्तर पर नियंत्रण क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए 55 वाहन खरीदे गए ।
- टिड्डी नियंत्रण प्रचालनों के लिए 200 से अधिक केंद्र सरकार के कर्मिकों को तैनात किया गया था।
- प्रोटोकॉल तैयार होने के बाद विश्व में पहली बार टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया और एक बेल 206-बी3 हेलिकॉप्टर का भी उपयोग हवाई छिड़काव के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण के लिए किया गया ।
- भारतीय वायु सेना के अनुकूल हवाई छिड़काव उपकरण वाले एमआई-17 हेलिकॉप्टर का उपयोग किया गया।
- गृह मंत्रालय ने कीट नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण रसायनों के छिड़काव हेतु छिड़काव उपकरणों वाले वाहनों तथा ट्रैक्टरों को किराए पर लेने; पानी टैंकरों को किराए पर लेने; और राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत सहायता के नए मानदंडों के अंतर्गत टिड्डी नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण रसायनों की खरीद करने की मंजूरी दी है। इससे भी राज्यों को टिड्डी नियंत्रण प्रचालनों में सुविधा हुई है।
- राजस्थान को छिड़काव उपकरणों वाले 800 ट्रैक्टरों के लिए कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के अंतर्गत 2.86 करोड़ रूपये की सहायता की मंजूरी दी गई थी। आरकेवीवाई के अंतर्गत वाहनों, ट्रैक्टरों को किराए पर लेने तथा कीटनाशियों की खरीद के लिए 14 करोड़ रूपये की संस्वीकृत राशि भी जारी की गई है।
- आरकेवीवाई के अंतर्गत गुजरात राज्य को टिड्डी नियंत्रण हेतु क्षमता बढ़ाने के लिए 1.80 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ट्रैक्टरों एवं छिड़काव उपकरणों की खरीद हेतु 2.20 करोड़ रूपये सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है।

****